

संविधानवाद से क्या अभिप्राय है?इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

संविधानवाद एक आधुनिक विचार है जो विधि द्वारा नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देती है।इस व्यवस्था में विधि के शासन को महत्व दिया जाता है न कि व्यक्ति विशेष के शासन को। संविधानवाद उन मान्यताओं और सिद्धन्तों की ओर संकेत करता है जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके, जिससे लोकतात्त्विक शक्तियाँ वास्तव में सजीव रह सके अर्थात् सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना ही संविधानवाद है।

सी.एफ.टांग के अनुसार-- "संविधानवाद एक आधुनिक युगीन संकल्पना है जो विधि और नियंत्रणों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है।" कार्टर तथा हर्ज के शब्दों में-- "मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायालिका प्रत्येक संविधानवाद की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है।"

के.सी.हवीय के अनुसार,....."संविधानिक शासन का अर्थ किसी शासन के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है।इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन केवल अधिकार के उपयोग करने वाले की इच्छा के अनुसार चलाने वाला शासन नहीं, बल्कि संविधान के नियमों के अनुसार चलाने वाला शासन होता है।"

इस प्रकार संविधानवाद का अर्थ सीमित शासन(Limited Government) से लिया जा सकता है।

संविधानवाद की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो प्रायः थोड़े बहुत अन्तर के साथ प्रत्येक देश के संविधान में पायी जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं--

1.मूल्य सम्बद्ध धारणा----संविधानवाद एक मूल्य सम्बद्ध धारणा है।इसका संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है।इसमें उन सभी अथवा अधिकांश तत्वों का समावेश है जो राष्ट्र के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित हैं, जो समाज को प्रिय होते हैं और जिनकी रक्षा, उत्तराधि और प्रगति के लिए समाज बड़े से बड़ा बलिदान करने को तत्पर रहता है।

2.संस्कृति सम्बद्ध धारणा-----संविधानवाद का विकास एवं समाज के मूल्यों का निर्माण देश में स्थापित संस्कृति से सम्बद्ध होता है।प्रायः हर देश में राजनीतिक संस्कृति ही मूल्यों एवं विचारों को जन्म देती है।परन्तु व्यवहारादी विचारधारा के अनुसार मूल्य एवं राजनीतिक संस्कृति में उचित परिवर्तन लाने के लिए साधन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं।विकासशील देशों में ऐसी स्थिति है।वहाँ पर पाश्वात्य देशों की संस्कृति से मूल्य लेकर इन देशों में लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा संचार साधनों एवं समाजीकरण की क्रियाओं का प्रयोग करके यह देश विदेश की परम्परागत राजनीतिक संस्कृति में उचित परिवर्तन लाकर देश को आधुनिक स्थिति की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।

3.गतिशील धारणा-----संविधानवाद गतिशील धारणा है परन्तु साथ ही उसमें स्थापित भी पाया जाता है।यह स्वाभाविक है, व्यक्ति के समाज गतिशील है।संविधानवाद उन सामाजिक मूल्यों और आरथाओं का जो लोगों को किसी समय विशेष में प्रिय हों,प्रतीक मात्र ही नहीं बल्कि वह नवीन मूल्यों की स्थापना एवं प्राप्ति का माध्यम भी है।

4. सहभागी धारणा----कई देशों के राजनीतिक आदेश, आस्थाएँ, मान्यताएँ और संखृप्तिक मूल्य बहुत कुछ समान हो सकते हैं ऐसे देशों में संविधानवाद में आधारभूत समानताएँ होती हैं और इस प्रकार यह हमारे समक्ष अपना सहभागी व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है, उदाहरणार्थ पश्चिमी संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता के बहुत लक्षण देखने को मिलते हैं।इस प्रकार की समानता में प्रकार का अन्तर न होकर मात्रा का अन्तर अवश्य ही प्रत्येक देश में दिखाई पड़ेगा।

5. सामान्यतया संविधान पर आधारित अवधारणा----प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक देश में स्थापित मानकों एवं मूल्यों का संविधान में ही वर्णन किया जाता है और इसलिए उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति देश में राजनीतिक गतिविधियों का आधार होती है।यह भी सत्य है कि इन उद्देश्यों के संबंध में सहमति हो,जो प्रायः प्रत्येक देश में पायी जाती है।इस सहमति के कारण ही संविधानवाद संविधान के अनुकूल होता है तथा संविधानवाद संविधान में निषा का श्रोत बन जाता है।

आगे,धन्यवाद।